HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 12667/2026
CNR: RJHC020774752026 | URN: CRLMB / 23349U / 2026

Kamlesh S/o Shri Banwarilal, Aged About 43 Years, R/o Dhani Joda Wali, P.s. Thoi, District Sikar. (At Present Confined In District Jail Sawai Madhopur).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Mohar Pal Meena
For Respondent(s)	:	Mr. S.R.Dhakad, PP Mr. T.C.Vyas

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

18/11/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत यह जमानत प्रार्थना–पत्र पुलिस थाना **कोतवाली सवाईमाधोपुर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **172/2025** अपराध अन्तर्गत धारा 318(4), 316(2), 319(2), 112(2), 61(2)(ए) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 66–डी आईटी एक्ट में जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

बहस सुनी गई। प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त पर यह आक्षेप है कि उसने अपने खाते में साइबर ठगी के एक लाख रूपये प्राप्त किए। उनका तर्क है कि वास्तविकता में उसके चाचा मोहनलाल ने उसे ऋण दिलवाने के बहाने यह खाता खुलवाया था। उनका तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने तो उक्त राशि अनुंसंधान अधिकारी के सामने वापस जमा करा दी है। उनका यह भी तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 18.07.2026 से अभिरक्षा में है। उसके विरूद्ध पूर्व का कोई

आपराधिक इतिहास नहीं है। मामले में आरोप–पत्र प्रस्तुत हो चुका है। अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जावे।

इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता परिवादी एवं विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने सहअभियुक्त के साथ मिलकर संगठन बनाकर लगभग पचास लाख रूपये की साइबर ठगी की है जिसमें से एक लाख रूपये सीधे परिवादी से उसके खाते में आए हैं। उक्त खाते में और भी कई संव्यवहार छोटी–छोटी राशियों के होना दर्शित है, जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी/अभियुक्त ही इस खाते का उपयोग कर रहा था। उनका यह भी तर्क है कि अभी प्रकरण में मुख्य अभियुक्त अनन्या अग्रवाल एवं अन्य गिरफ्तार नहीं हुए हैं, उनके विरूद्ध प्रकरण में अभी अनुसंधान लम्बित है, प्रार्थी को जमानत का लाभ देने पर अनुसंधान पर विपरीत रूप से प्रभाव पड़ेगा। अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ नहीं दिया जाए।

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया।

पत्रावली के अध्ययन से प्रकट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त पर धारा 318(4), 316(2), 319(2), 112(2), 61(2)(ए) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 66–डी आईटी एक्ट के अपराध के आरोप हैं। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा खाता खुलवाया जाना प्रकट हो रहा है एवं मामला 50 लाख रूपये की साइबर ठगी का है। उक्त राशि में से परिवादी से सीधे प्रथम लेयर की एक लाख रूपये की राशि प्रार्थी के खाते में आना एवं उक्त राशि अनुसंधान अधिकारी द्वारा जब्त करना भी पत्रावली से प्रकट हो रहा है। प्रकरण में अभी अन्य अभियुक्तगण की गिरफ्तारी शेष होना एवं उससे अनुसंधान शेष होना बताया गया है। यदि प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाता है तो अनुसंधान के विपरीत रूप से प्रभावित होने की आशंका से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस प्रक्रम पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत का यह प्रार्थना–पत्र अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J

Crt_9/D-A/23/AJAY KUMAR SINGHAL